

एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक

नकद निकासी पर टीडीएस के बारे में जानकारी*

1. आयकर नियमों के अनुसार, नकद निकासी पर टीडीएस निम्नानुसार लागू होगा:
 - अ) आयकर अधिनियम 2025 की धारा 393 के अनुसार, वित्तीय वर्ष के दौरान सीमा पार होने के बाद यानी 1 करोड़ रुपये की सीमा पार हो जाने के बाद नकद निकासी पर नकद निकासी पर टीडीएस @ 2% लागू होगा, चाहे आईटीआर की स्थिति कुछ भी हो।
 - आ) आईटीआर अनुपालन से संबंधित प्रावधान को 01.04.2026 से समाप्त कर दिया गया है।
 - इ) जहां कटौतीकर्ता (AUSF बैंक) को प्रदान किया गया पैन निष्क्रिय है (पैन आधार से जुड़ा नहीं है), TDS को TDS (20%) की उच्च दर पर माना जाएगा।
 - ई) जहां कटौतीकर्ता (एयूएसएफ बैंक) को प्रदान किया गया पैन गलत या अमान्य है, वहां टीडीएस (20%) की उच्च दर लागू होगी।

नोट: सहकारी समितियों के लिए (सहकारी समितियों के पंजीकरण के लिए सहकारी समिति अधिनियम 1912 के तहत या किसी भी राज्य कानून के तहत पंजीकृत) – उपरोक्त 1 करोड़ रुपये के बजाय 3 करोड़ रुपये की सीमा लागू होगी।

2. नकद निकासी पर टीडीएस से छूट प्राप्त व्यक्तियों और संस्थाओं की सूची इस प्रकार है:
 - अ) सरकार;
 - आ) कोई भी बैंकिंग कंपनी या सहकारी समिति जो बैंकिंग या डाकघर के व्यवसाय में लगी हुई है;
 - इ) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंकिंग का कारोबार करने में लगे किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी समिति का कोई भी व्यवसाय प्रतिनिधि;
 - ई) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी प्राधिकार के अनुसार, बैंकिंग का व्यवसाय करने में लगे किसी बैंकिंग कंपनी या सहकारी समिति का कोई भी व्हाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन ऑपरेटर;
 - उ) ऐसे अन्य व्यक्ति (व्यक्तियों) को केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित कर सकती है।

पैन के बारे में सूचना और वैधानिक जानकारी

1. आयकर अधिनियम की धारा 262 और आयकर नियमों के नियम 159 के तहत किसी भी खाता खोलने के लिए पैन जमा करना अनिवार्य हो गया है। इसके अलावा, बैंक के लिए टीडीएस सर्टिफिकेट पर और उसके द्वारा फाइल किए गए टीडीएस रिटर्न में ग्राहक के पैन का उल्लेख करना अनिवार्य है। आयकर रिटर्न दाखिल करते समय टीडीएस के लिए उचित क्रेडिट का लाभ उठाने के लिए, ग्राहकों से अनुरोध किया जाता है कि वे सत्यापन के लिए मूल कार्ड के साथ पैन कार्ड की प्रति प्रस्तुत करें।
2. यदि ग्राहक द्वारा पैन प्रदान नहीं किया जाता है या प्रदान किया गया पैन गलत या अमान्य है, तो बैंक कर अधिकारियों द्वारा टीडीएस दावों को अस्वीकार करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
3. इसके अलावा, आप कृपया ध्यान दें कि निम्नलिखित अतिरिक्त नियम 01.04.2026 से लागू होंगे:
 - अ) इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने फॉर्म फॉर्मेट में कुछ संशोधनों के साथ फॉर्म 97 पेश किया है, जो पूर्ववर्ती फॉर्म 60 की जगह लेता है।
 - आ) फॉर्म 97 (जिसे पहले फॉर्म 60 के रूप में जाना जाता था) की आवश्यकता नहीं होगी, जहां एक ही दिन में ₹50,000 से अधिक की नकद जमा की जाती है
 - इ) यदि ग्राहक द्वारा एयूएसएफ बैंक को पैन प्रदान नहीं किया जाता है, तो एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक के लिए नकद निकासी/नकद जमा की अनुमति नहीं है।

*उपरोक्त सभी जानकारी बैंक द्वारा पूर्व सूचना के बिना परिवर्तन के अधीन है। यह दस्तावेज़ केवल मार्गदर्शन के उद्देश्य से है, कृपया अपने खाते में किसी भी स्पष्टीकरण या सटीक निहितार्थ के लिए शाखा प्रतिनिधि से संपर्क करें।